

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <del>रमणी</del>   हर भाग १०१०	नया अदालत हुक्म में
10/3/25	<p>           वकील पञ्जाब उपा. वकील पञ्जाब            ने सा. पत्र वाकि खारिज 212 एवं 213            पेश किया। सा. पत्र संवर्धित मूल            पत्रवली दि. 21.10.24 का खारिज            हो चुका है। अतः मूल डाके के            खारिज होने से सा. पत्र निरस्त            योग्य है। सा. पत्र स्वीकार किया            जाकर खारिज किया जाता है।            पत्रवली मिला मुगल केरल नया            से कर है         </p> <p style="text-align: center;"> <del>रमणी</del> </p>	